

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर


नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रावतसर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नेनुदेवी पत्नी पनाराम 2 पनाराम गोदपुत्र बगताराम 3 मूलीदेवी पत्नी बगताराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर		1.पीराराम पुत्र चूतराराम जाट 2 गैनाराम पुत्र कालुराम 3 ऊमाराम पुत्र कालुराम 4 बाबुराम पुत्र कालुराम 5 ऊदाराम पुत्र कालुराम 6 चूनीदेवी पत्नी गिरधारीराम 7 मूलाराम पुत्र गिरधारीराम जातियान मेघवाल 8 पूरखाराम पुत्र अमराराम 9 फूसाराम पुत्र अमराराम 10 खिमाराम पुत्र अमराराम 11 मेघाराम पुत्र मुकनाराम 12 हेमाराम पुत्र मुकनाराम 13 ईमरती पत्नी मुकनाराम जातियान जाट 14 ईमियों पत्नी कालुराम जाति मेघवाल 15 हुकमाराम पुत्र रेखाराम 16 चेनाराम पुत्र रेखाराम 17 कंवराराम पुत्र चूतराराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बावत् राजस्व आवेदन संख्या-100/2021 दिनांक-08.11.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1679/279 रकबा 64.06 बीघा, खसरा नंबर 1683/257 रकबा 22.03 बीघा कुल रकबा 86.09बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्राथी द्वारा मोके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 08/11/2021

दिनांक/रीडर/2021/ 6216 - 6213  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी नेनुदेवी पत्नी पनाराम वगैरह जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण पीराराम पुत्र चूतराराम वगैरह जाति जाट/मेघवाल निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर